

दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ

2011. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाया है;
- (ख) यदि हां, तो साझेदार देशों का ब्यौरा क्या है तथा व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) के तहत व्यापार और निवेश को पुनर्जीवित करने के संबंध में उनका क्या प्रस्ताव है और दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार, निवेश और कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उक्त भागीदारी के तहत भारतीय व्यवसायों को लाभ सुनिश्चित करने की योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) ईएफटीए डेस्क द्वारा विभिन्न राष्ट्रों के साथ भारतीय व्यवसायों के लिए व्यापार और निवेश के अवसर सुविधाजनक बनाने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) उक्त समझौते से किन-किन क्षेत्रों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ने की आशा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) ने दिनांक 10 मार्च 2024 को नई दिल्ली में व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (टीईपीए) पर हस्ताक्षर किए। ईएफटीए वर्ष 1960 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। टीईपीए के तहत, ईएफटीए ने अगले 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमरीकी डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और इस तरह के निवेश के माध्यम से भारत में 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के सृजन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समझौते के अनुसार विभिन्न निवेश संवर्धन और सहयोग गतिविधियों को शुरू करने की परिकल्पना की गई है। टीईपीए इन प्रयासों को पूरा करने और ईएफटीए देशों के बीच निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए एक निवेश उपसमिति का भी प्रावधान करता है। टीईपीए के प्रावधानों के अनुसार, फरवरी 2025 में एक भारत-ईएफटीए डेस्क का भी उद्घाटन किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत में निवेश, विस्तार या परिचालन स्थापित करने के इच्छुक ईएफटीए व्यवसायों को संरचित सहायता प्रदान करना है। इस समझौते से जिन क्षेत्रों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें समुद्री खाद्य और ऊर्जा, स्वास्थ्य परिचर्या, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और दृश्य-श्रव्य सेवाएं, दवा, यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरिंग, अक्षय ऊर्जा और खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण शामिल हैं। टीईपीए से भारत में निवेश को बढ़ावा मिलने और इन क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करके "मेक इन इंडिया" और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
